

1950

STATE OF TEXAS

COUNTY OF DALLAS

TO

THE JUDGE OF THE DISTRICT COURT

IN AND FOR THE COUNTY OF DALLAS, TEXAS

VS.

THE STATE OF TEXAS

PLAINT

FOR RECOVERY OF DAMAGES

IN THE DISTRICT COURT OF THE COUNTY OF DALLAS, TEXAS



STATE OF TEXAS

BY

7-1-61-

5000 ✓

राधा



दान पत्र

6957000 ✓

69570+

सुन - वरु



202300995014240

दान पत्र/ (आवासीय(अकृषक))भूखण्ड/भवन

दान पत्र- परिवार के सदस्यों के पक्ष में

कार्यालय का नाम : उप निबंधक - पिण्डरा, वाराणसी

1- यह दान पत्र निम्न पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया है:-

पृष्ठ - 26

476990-

- 5000-

2- 471990 ✓

श्री/श्रीमती/कुं

: राधा देवी

पुत्र/पत्नी/पुत्री

: पत्नी स्व० अमृताकर दूबे

पेशा

: गृहिणी

पता

: एस.8/217 सी-1 सुधाकर रोड खजुरी वाराणसी।

पैनकार्ड नं०

: AIQPD9564L

मोबाइल संख्या

: 9838266666




प्रस्तुतकर्ता

: स्वयं

राधा देवी

दानदाता/प्रथम पक्ष





Faint, illegible text lines located below the barcode, possibly representing a title or header.



श्री/श्रीमती/कु० : रेखा दूबे
 पुत्र/पत्नी/पुत्री : पत्नी कृपाकर दूबे
 पेशा : गृहिणी
 पता : एस.8/217 सी-1 सुधाकर रोड खजुरी वाराणसी।
 पैनकार्ड नं० : ACBPR8254L
 मोबाइल संख्या : 9838266666
 प्रस्तुतकर्ता : स्वयं

दान ग्रहिता/द्वितीय पक्ष

- सम्पत्ति क्रम संख्या-1
- दानशुदा सम्पत्ति के मूल्यांकन का विवरण:-
- प्रतिफल : 000
- वास्तविक बाजारी मूल्य : 69,57,000/
- अदा किया गया कुल स्टाम्प शुल्क (रू०) : 5,000/
- निर्माण की स्थिति : अनिर्मित
- क्षेत्रफल : 808.921 वर्गमीटर
- सम्पत्ति प्राप्ति का श्रोत : विक्रय विलेख
- विक्रेता के पक्ष में उक्त अचल सम्पत्ति के स्वामित्व/मालिकाना हक निम्न स्रोत से प्राप्त हुआ है:-
- विक्रय विलेख-
 रजिस्ट्रेशन संख्या : 2319 रजिस्ट्रेशन दिनांक : 06/06/2014
 उपनिबंधक कार्यालय : उप निबंधक पिण्डरा, वाराणसी।
- प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्व में दान पत्र रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया गया है।

राधा देवी



आवेदन सं०: 202300995014240

दान पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9898

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 5000 बाजारी मूल्य - 6957000 पंजीकरण शुल्क - 69570 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 69650

श्रीमती राधा देवी,
पत्नी श्री स्व० अमृताकर दूबे
व्यवसाय : डाक्टर
निवासी: एस.8/217 सी-1 सुधाकर रोड खजुरी वाराणसी।




ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 04/11/2023 एवं 03:21:24
PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दीपक जायसवाल,
उप निबंधक :पिठरा
वाराणसी
04/11/2023
सत्यशु सिंह,
निबंधक लिपिक
04/11/2023

प्रिंट करें



- दानशुदा सम्पत्ति का विवरण:
- सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय भूखंड/भवन
- सम्पत्ति का विवरण : आराजी नम्बर 195 व आराजी नं० 196
- सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 8704 वर्गफीट यानी 808.921 वर्गमीटर
- मौजा/परगना/वार्ड : मौजा धनेशरी, परगना अठगाँवा
- तहसील : पिण्डरा
- जिला : वाराणसी
- सेगमेंट प्रकार : अकृषक आवासीय भूमि की दरे (बिना रास्ते पर)
- सम्पत्ति की चौहद्दी :
 - पूरब : जमीन आराजी नं० 197
 - पश्चिम : जमीन आराजी नं० 193
 - उत्तर : जमीन आराजी नं० 194
 - दक्षिण : सरहद दासेपुर।
 - प्लाट संख्या/भवन : आराजी नम्बर 195, 196
 - संख्या/दुकान संख्या

प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है:-

- क- यह कि उक्त अचल सम्पत्ति दानकर्ता को जरिये विक्रय विलेख प्राप्त हुई है।
- ख- यह कि उक्त संपत्ति प्रथम पक्ष/ दानकर्ता के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है, जिस पर कोई ऋण / कर अथवा अन्य कोई भी प्रभार

राधा देवी



(Handwritten signature)



आवेदन सं०: 202300995014240

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9898

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

दान दाता: 1

श्रीमती राधा देवी, पत्नी श्री स्व० अमृताकर दूबे

निवासी: एस.8/217 सी-1 सुधाकर रोड खजुरी वाराणसी।

व्यवसाय: डाक्टर

दान गृहीता: 1



श्रीमती रेखा दूबे, पत्नी श्री कृपाकर दूबे

निवासी: एस.8/217 सी-1 सुधाकर रोड खजुरी वाराणसी।

व्यवसाय: गृहिणी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान


पहचानकर्ता: 1

श्री दिनेश सिंह, पुत्र श्री स्व० रामदेव सिंह

निवासी: दासेपुर हरहुआं वाराणसी।

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2



श्री अजय कुमार, पुत्र श्री विजय शंकर सिंह

निवासी: हरिहरपुर सरस्वान सरसावन वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षित्री के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी

दीपक जायसवाल .
उप निबंधक : पिंडरा

वाराणसी
04/11/2023

सत्याशु सिंह
निबंधक लिपिक वाराणसी
04/11/2023

बकाया नहीं है।

- ग- प्रथम पक्ष / दानकर्ता ने इससे पूर्व उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय, दान, बंधक या अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं किया है तथा प्रथम पक्ष / दानकर्ता को उक्त संपत्ति को अंतरित करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- दानशुदा सम्पत्ति पर से हम प्रथम पक्ष ने अपना कब्जा व दखल हटाकर, द्वितीय पक्ष उपरोक्त का वाकई तौर पर बहैसियत स्वामी कब्जा व दखल करा दिया है। दानशुदा सम्पत्ति में हम प्रथम पक्ष को जो-जो हक व अधिकार आज दिन हासिल है अथवा भविष्य में प्राप्त होते, वे सभी हक व अधिकार द्वितीय पक्ष को हासिल हो गये। दानशुदा सम्पत्ति का द्वितीय पक्ष जिस प्रकार चाहे उस प्रकार उपयोग व उपभोग करें। इसमें हम प्रथम पक्ष व वारिसान व कायम मुकामान को न कोई आपत्ति है न आइन्दा होगी।
- ङ- यह कि इस दान विलेख के निष्पादन कि तिथि से द्वितीय पक्ष अंतरित संपत्ति के उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा किसी को भी अपनी इच्छानुसार हस्तांतरित कर सकता हैं।
- च- यह कि प्रथम पक्ष/दानकर्ता ने प्राकृतिक व नैसर्गिक प्रेम से वशीभूत होकर उक्त संपत्ति द्वितीय पक्ष / दान ग्रहीता के पक्ष में अंतरित कर रहा है।
- छ- यह कि दानशुदा सम्पत्ति पर से द्वितीयपक्ष हम प्रथमपक्ष का नाम रेवेन्यू रिकार्ड कागजात सरकारी व नगर निगम वाराणसी व तहसील कागजात अथवा जहां कहीं भी आवश्यक हो से खारिज कराकर द्वितीयपक्ष अपना नाम बतौर मालिक दर्ज करा लेवे इसमें हम प्रथमपक्ष को न कोई उज्र है और न ही होगा।
- ज- यह कि अंतरित भूमि सभी प्रकार के भारों व प्रभारों से मुक्त है, इस दान

राधा देवी







Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.




विलेख के निष्पादन के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष अर्थात् दानकर्ता का तथा भविष्य में उत्पन्न समस्त प्रभारों का दायित्व द्वितीय पक्ष अर्थात् दान ग्रहीता का होगा तथा संपत्ति के स्वामित्व संबंधी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष अर्थात् दानकर्ता उत्तरदायी होगा।

- झ- यह कि इस विलेख से सम्बन्धित भूमि का गाटा संख्या का महायोजना में भू-उपयोग पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टीका, क्रीड़ा स्थल तथा मार्ग के रूप में प्रस्तावित नहीं है एवं दान ग्रहीता/द्वितीय पक्ष इस बात से सहमत है कि उपरोक्त भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु दान ग्रहीता/द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा।
- ज- उक्त दान विलेख उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तहरीर व तकमील कराया जा रहा है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी केवल उभय पक्षकारान व ख्वाह वारिसान पर होगी। दानशुदा सम्पत्ति में किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होने पर मसविदाकर्ता व टाइपकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अन्य विवरण-

विदित हो कि प्रथमपक्ष दानशुदा सम्पत्ति का मालिक काबिज दखिल चला आ रहा है, इसमें किसी अन्य दीगर व्यक्ति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, प्रथमपक्ष को दानशुदा सम्पत्ति के बाबत हर तरह का हक व अधिकार हासिल है, तथा प्रथमपक्ष को दानशुदा सम्पत्ति को दान करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। उक्त सम्पत्ति से किसी दीगर शख्स से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। द्वितीयपक्ष हम प्रथमपक्ष की पुत्रवधू है तथा हम प्रथमपक्ष का काफी आदर व सम्मान तथा सेवा-टहल, देख-भाल, दवा-इलाज आदि करती है प्रथमपक्ष को उम्मीद है कि द्वितीयपक्ष आगे भी प्रथमपक्ष को उसी प्रकार आदर व सम्मान

राधा देवी



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Faint text located below the circular stamp, possibly a signature or date.

तथा सेवा-टहल, देख-भाल, दवा-इलाज आदि करता रहेगी। प्रथमपक्ष की हार्दिक इच्छा है कि अपनी उपरोक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष के हक में दान में दे देवे, उक्त इच्छा को प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के समक्ष रखा जिस पर द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति को दान में लेना कबूल व मंजूर कर लिया है, लिहाजा प्रथमपक्ष अपनी राजी खुशी व रजामंदी से हस्ब तफसील जैल को बहक द्वितीय पक्ष दान कर दिया और अपनी राजी खुशी व रजामंदी से बिला किसी जोरदबाव के यह दान-पत्र लिखकर अपने-अपने को व अपने-अपने उत्तराधिकारियों को नीचे लिखी शर्तों से बाध्य करते हैं:-

1. यह कि दान में दी गयी सम्पत्ति बिल्कुल पाक एवं साफ है और कही कुर्क एवं नीलाम वगैरह नहीं है और न उसके सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद या मुकदमा विचाराधीन है और उक्त सम्पत्ति बिल्कुल पाक साफ हालत में दान में दी जा रही है यदि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति उक्त सम्पत्ति के बारे में अपने को दावेदार या स्वामी जाहिर करे तो वह इस दान पत्र के मुकाबिले एकदम नाजायज एवं अवैधानिक, जाली, फर्जी, शून्य व अमान्य होगा।
2. यह कि दानशुदा सम्पत्ति आवासीय भूमि है और आवासीय प्रयोजन हेतु दान हो रहा है। उभयपक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य नहीं है। पक्षगण भारत के नागरिक है। विक्रीत सम्पत्ति अर्बन सीलिंग एक्ट की धारा 10(3) व 10(5) से बाधित नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति न तो राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया गया है और न ही अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन है तथा दानशुदा सम्पत्ति नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है तथा दानशुदा सम्पत्ति व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित नहीं है दानशुदा सम्पत्ति वाराणसी-जौनपुर मार्ग से 300 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, दानशुदा सम्पत्ति चिन्हित मार्ग पर स्थित नहीं हैं तथा दानशुदा सम्पत्ति गांव सभा की

राधा देवी



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing to be a separate section or paragraph.

Fourth block of faint, illegible text, located just above the stamp.



Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

सम्पत्ति नहीं है। दानशुदा सम्पत्ति राष्ट्रीय मार्ग, प्रान्तीय मार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।

सम्पत्ति का विवरण-

आराजी नम्बर 195 रकबा 0.040 हे० व आराजी नं० 196 रकबा 0.040 हे० कुल दो गाटा रकबा 0.080 हे० यानी 8704 वर्गफीट यानी 808.921 वर्गमीटर स्थित मौजा धनेशरी, परगना अठगाँवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

मूल्यांकन:-

दानशुदा सम्पत्ति का मूल्यांकन निष्पादन तिथि 04/11/2023 को प्रभावी मूल्यांकन दर सूची दिनांक 01/08/2019 के क्रमांक 196 वी-कोड 1053 पेज 21 कालम 6 के अनुसार किया गया है, भूमि का मूल्यांकन मु० 8,600/-रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से 808.921 वर्गमीटर का मु० 69,57,000/-रूपये होता है चूंकि द्वितीयपक्ष हम प्रथमपक्ष की पुत्रवधू है अतः उ०प्र० शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 18/2023/995/94-एस०आर०-2-2023-700(29)/2021, लखनऊ दिनांक 03 अगस्त, 2023 के अनुसार अधिकतम स्टाम्प शुल्क मु० 5000/- रूपये देय होगा, इसलिए प्रस्तुत दान-विलेख पर नियमानुसार मु० 5,000/- रूपये का स्टाम्प जरिये ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र सं० IN-UP63438316901106V दिनांक 04/11/2023 अदा किया जा रहा है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष अर्थात दान दाता ने बिना किसी जोर दबाव के द्वितीय पक्ष के हक में दान विलेख में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साथ बिना किसी प्रलोभन के पूर्ण होशो हवास में निम्न साक्षियों के समक्ष निष्पादन किया।


निष्पादन तिथि-

04/11/2023

राधा देवी



(Handwritten signature)



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.


Main body of faint, illegible text, appearing to be several lines of a document or letter.

Additional faint, illegible text located below the main body of the document.




साक्षीगण

1

साक्षी का नाम : दिनेश सिंह
 पुत्र : स्व० रामदेव सिंह
 पेशा : कृषि
 पता : दासेपुर हरहुआं वाराणसी।
 मोबाइल संख्या : 9621993366
 हस्ताक्षर : 



2

साक्षी का नाम : अजय कुमार
 पुत्र : विजय शंकर सिंह
 पेशा : अन्य
 पता : हरिहरपुर सरस्वान सरसावन वाराणसी।
 मोबाइल संख्या : 7007018200
 हस्ताक्षर : 



शाखा देवी



1970

श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री

श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री

श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री

श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री
श्री श्री श्री



मसविदाकर्ता:-

A. Paul

अवधेश कुमार पाण्डेय, एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी।
मो०नं०- 7905551090

टाईपकर्ता:-


R

रुद्राक्ष कम्प्यूटर
कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी।
मो०नं०- 8765540722


शब्दा देवी



#



विद्यया ऽमृतमश्नुते
विद्यया ऽमृतमश्नुते
विद्यया ऽमृतमश्नुते




::प्रमाणक::

हम प्रमाणित करते हैं कि -:

- i. दानकर्ता के पास भूमि की प्राप्ति का स्रोत:- **बेनामा**
- ii. दान ग्रहिता से उसका सम्बंध:- **सास - पुत्रवधू**
- iii. सम्बन्ध का साक्ष्य:- **आधारकार्ड**
- iv. मृतक भाई की पत्नी का दान ग्रहिता होने के प्रकरण में भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र है या नहीं
- v. सम्बन्धित सम्पत्ति का geotag फोटोग्राफ
- vi. "कि इस दान विलेख में हस्तान्तरित की जा रही सम्पत्ति शासनादेश संख्या-18/2023/995/94 एस0आर0-2-2023-700(29)/2021 दिनांक 3 अगस्त 2023 यथा संशोधित के अनुसरण में किया जा रहा है, इस सम्पत्ति को दानदाता द्वारा दानग्रहिता के रूप में शासनादेश में उल्लिखित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया गया है, यदि विपरीत तथ्य ज्ञात होते हैं तो जो भी विधिक कार्यवाही होगी वह मुझे मान्य होगी।

दिनांक 4.11.2023

स्थान



हस्ताक्षर दानदाता

राधा देवी

हस्ताक्षर दानग्रहिता

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second line of faint, illegible text.

Third line of faint, illegible text.


Small, faint text fragment.



Faint text located to the right of the circular stamp.

उप निबंधक कार्यालय वाराणसी

सम्पत्ति का पोस्टकार्ड साईज का रंगीन फोटोग्राफ



सम्पत्ति का विवरण-

आराजी नम्बर 195 रकबा 0.040 हे० व आराजी नं० 196 रकबा 0.040 हे० कुल दो गाटा रकबा 0.080 हे० यानी 8704 वर्गफीट यानी 808.921 वर्गमीटर स्थित मौजा धनेशरी, परगना अठगाँवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

चौहद्दी:-

पूरब : जमीन आराजी नं० 197
पश्चिम : जमीन आराजी नं० 193
उत्तर : जमीन आराजी नं० 194
दक्षिण : सरहद दाशेपुर।

दिनांक- 04/11/2023

राधा देवी






नजरी नक्शा

आराजी नम्बर 195 रकबा 0.040 हे० व आराजी नं० 196 रकबा 0.040 हे० कुल दो
गाटा रकबा 0.080 हे० यानी 8704 वर्गफीट यानी 808.921 वर्गमीटर स्थित मौजा
धनेशरी, परमना अठगाँवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

जमीन आराजी नं० 194




जमीन आराजी नं० 193

रकबा 0.080 हे० यानी 8704
वर्गफीट यानी 808.921 वर्गमीटर

जमीन आराजी नं० 197

सरहद दाशेपुर।

राधा देवी



Drawn By : रुद्राक्ष कम्प्यूटर कलेक्टरी कचहरी वाराणसी

आवेदन सं०: 202300995014240

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6914 के पृष्ठ 129 से 154 तक
क्रमांक 9898 पर दिनांक 04/11/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया
।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दीपक जायसवाल.
उप निबंधक : पिंडरा
वाराणसी.
04/11/2023

प्रिंट करें

